01/05/24 पत्रावली पेश। वकील वादी या वादी स्वयं उप० नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं आया। अतः वादी का यह वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2024.05.23 10:33:42 IST
Reason: SelfAttested